Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(3), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

स्वाधीनता संग्राम में कुमाऊँ के प्रमुख सक्रिय कांग्रेस सदस्यों की भूमिका

हेमलता[1], संजय कुमार टम्टा[2]
[1, 2] इतिहास विभाग, डी0एस0बी0 परिसर, कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, (उत्तराखंड), भारत

शोध सारांश :– *किसी देश या क्षेत्र के स्वतन्त्रता–संग्राम का इतिहास उसकी सर्वोच्च निधि होती है। उसमें उस देश या क्षेत्र के स्वतंन्त्रता सेनानियों की सेवा, कुशल नेतृत्व, त्याग, संघर्ष और बलिदान की अनगिनत कहानियाँ तथा अच्छे–बुरे दिनों में उसके उत्थान और उद्धार के लिए प्रेरणा का उत्कृष्ट स्रोत बनी रहती हैं। 19वीं शताब्दी को भारत में राष्ट्रीय पुनर्जागरण का युग कहा जाता है। इसी क्रम में भारत में राष्ट्रीय आन्दोलनों का सूत्रपात हुआ। राजनैतिक एवं सामाजिक परिवर्तनों से देश की तत्कालीन परिस्थिति में गतिशीलता आना स्वाभाविक था। देश का प्रत्येक स्थान विकसित राष्ट्रीय चेतना से प्रभावित हुआ। 1857 के पहले और पश्चात् जो राष्ट्रीय पुर्नजागरण का आविर्भाव हुआ, उसने इस देश में अनेक आन्दोलनों और व्यक्तियों के जन्म की भूमिका निर्मित की। स्थानीय और राष्ट्रीय चेतना से बने वातावरण ने कुमाऊँ में भी कई ऐसे व्यक्तित्वों का उभरना सम्भव बनाया। जिन्होंने देश के स्वाधीनता आन्दोलनों में सक्रिय भागीदारी की। राष्ट्रीय संग्राम के इन समर्पित योद्धाओं में कुमाऊँ में कांग्रेस के प्रमुख सक्रिय सदस्यों जिनमें बदरी दत्त पाण्डे, हरगोविन्द पंत, गोविंद बल्लभ पंत, विक्टर मोहन जोशी, चिरंजीलाल, मोहनसिंह मेहता, हर्षदेव ओली, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, खुशीराम आर्य, बचीराम आर्य, भगीरथ पाण्डे, ज्योतिराम काण्डपाल आदि प्रमुख थे। जिन्होंने स्थानीय चेतना को राष्ट्रीय संग्राम से जोड़ने में सक्रिय भागीदारी कर उन्हें सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें महिलाओं की भी सक्रिय भीगीदारी रही। राष्ट्रीय संग्राम में स्थानीय स्तर पर उनका नाम अग्रणीय है। प्रस्तुत शोधपत्र में कुमाऊँ में स्थानीय स्तर पर हुए राष्ट्रीय आन्दोलनों की गतिविधियों में तत्कालीन कुमाऊँ के प्रमुख सक्रिय कांग्रेस व्यक्तित्वों की भूमिका का अध्ययन किया गया है। और तत्कालीन महत्वपूर्ण परिस्थितियों, घटनाओं और आन्दोलनों को जानने व विश्लेषित करने का प्रयास किया गया है।*

शब्द कुँजी :– स्वाधीनता, कुमाऊँ, कांग्रेस, राष्ट्रीय आन्दोलन, असहयोग, सविनय, सत्याग्रह।

प्रस्तावना :– भारत का स्वाधीनता–संग्राम केवल राजनैतिक संघर्ष नही था, बल्कि देश के प्रत्येक भाग में फैले हुए लोगों का संघर्ष, भावना और बलिदान का प्रतीक था। भारत के उत्तर में स्थित उत्तराखंड राज्य ने इस संघर्ष में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1815 ई0 में इस क्षेत्र पर ब्रिटिश आधिपत्य हो गया। 1839 ई0 में 'कुमाऊँ डिवीजन' को ब्रिटिश गढ़वाल और ब्रिटिश कुमाऊँ दो जिलों में विभाजित किया गया। 1891 में ब्रिटिश कुमाऊँ से नैनीताल जिला बनाया गया।[1] ब्रिटिश कुमाऊँ उत्तराखंड राज्य के पूर्वी भाग में स्थित है। इसके उत्तर में तिब्बत व दक्षिण में तराई (उत्तर प्रदेश) तथा पूर्व में काली नदी व पश्चिम में नंदादेवी पर्वत, ग्वालदम तथा पनुवाखाल (मेहलचौरी) इसकी सीमायें निर्धारित करती है[2]। वर्तमान में इसके अन्तर्गत उत्तराखंड राज्य के 6 जनपद पिथौरागढ़, चम्पावत, बागेश्वर, ऊधमसिंह नगर, अल्मोड़ा, नैनीताल सम्मिलित है। स्वाधीनता–संग्राम के समय कुमाऊँ कई स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्षों का गवाह बना। जिन्होंने राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़कर ब्रिटिश शासन के खिलाफ स्वाधीनता संघर्ष में सक्रिय भागीदारी की। भारतवर्ष को ब्रिटिश दासता से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सन् 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म हुआ। कुमाऊँ के लोगों ने कांग्रेस के अधिवेशनों में जाना और सन् 1887 ई0 से कांग्रेस का सदस्य बनना आरम्भ कर दिया[3]। सर्वप्रथम 1887 में ज्वाला दत्त जोशी ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की[4]। कांग्रेस की स्थापना के पश्चात् राष्ट्रीय भावनाओं का विकास हुआ। राष्ट्र नई दिशा की तरफ अग्रसर हो रहा था। उन गतिशील परिस्थतियों से स्वतंत्रता की भावना को नई गति मिल रही थी। तदनुसार कुमाऊँ का राजनीतिक स्वरूप भी परिवर्तित हो रहा था। यहाँ राष्ट्रीय नेताओं–स्वामी विवेकानन्द, दयानन्द सरस्वती, ऐनीबेसेंट का समय–समय पर आगमन हुआ। इनसे स्थानीय जनता प्रभावित हुई, और स्वतंत्रता की आवश्यकता महसूस करने लगी। तथा अनेक संगठनों एवं सभाओं का जन्म हुआ। कुमाऊँ के विशेषाधिकार सम्पन्न प्रबुद्ध लोगों ने बराबर राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में जाना आरम्भ कर दिया था। शिक्षा में हुए विकास से ये सभी गतिविधियां निरन्तर बढ़ती जा रही थी[5]। 1910 में 25वीं अखिल भारतीय कांग्रेस इलाहाबाद में कुमाऊँ से हरिदत्त पंत, ज्वाला दत्त जोशी, बद्रीदत्त जोशी, मथुरा दत्त पाण्डे और जयलाल साह शामिल हुए थे। इन्होंने स्थानीय स्तर पर कांग्रेस के समान राजनैतिक संगठन की आवश्यकता को महसूस किया। 1912 ई0 में कुमाऊँ में कांग्रेस की स्थापना की[6]।

सन् 1916 में कुमाऊँ में 'कुमाऊँ परिषद' का गठन हुआ। जिसने आगामी एक दशक (1916–1926) तक कुमाऊँ में हुए स्थानीय एवं राष्ट्रीय आन्दोलनों का नेतृत्व किया[7]। राष्ट्रीय कांग्रेस के समान ही परिषद के वार्षिक अधिवेशन प्रत्येक वर्ष कुमाऊँ के प्रमुख नगरों में किये जाने लगे[8]। जिनमें कुमाऊँ के राजनैतिक, सामाजिक तथा आर्थिक विषयों पर चर्चा के साथ ही स्थानीय तथा राष्ट्रीय स्तर के आन्दोलनों के लिए पृष्ठभूमि तैयार की जाती थी। स्थानीय नेता परिषद को कांग्रेस से अलग मानते हुये भी कांग्रेस की नीतियों व विचारधारा के समर्थक थे[9]। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध कुमाऊँ में स्वदेशी, बहिष्कार, रौलेट एक्ट विरोध, जलियाँवाला बाग हत्याकाण्ड का विरोध, असहयोग आन्दोलन, साइमन कमीशन का विरोध, सविनय अवज्ञा आन्दोलन, नमक सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो अनेक आन्दोलन हुए।

राष्ट्रीय आन्दोलनों का स्वरूप 20वीं सदी के आरम्भ में उग्रवादी हो गया था। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सम्पूर्ण राष्ट्र में आक्रोश तीव्र होने लगा। राष्ट्रीय स्तर पर फैली इस चेतना का प्रभाव कुमाऊँ में भी पड़ा। यहाँ ब्रिटिश शासकों के विरूद्ध विरोधी तत्वों का उदय केवल बाह्य राष्ट्रीय तत्वों के प्रभाव के कारण नहीं था। बल्कि विभिन्न करों, बेगार प्रथा, जंगलात नीति, रंगभेद, ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थे। उन्नीसवीं सदी के पश्चात् कुमाऊँ में स्थानीय आन्दोलनों का जन्म होने लगा। असल मायनों में जनसाधारण को राष्ट्रीय आन्दोलन से जोड़ने में स्थानीय स्तर पर हुए आन्दोलनों की भूमिका थी[10]। 20वीं सदी में राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान कुमाऊँ के राजनैतिक वातावरण में कुछ ऐसे नेताओं का आविर्भाव हुआ। जिन्होंने भारत के स्वाधीनता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके प्रेरणादायक व्यक्तित्व ने सामान्य जनता के हृदय में देश सेवा की अग्नि प्रज्ज्वलित कर स्वतंत्रता का मार्ग प्रशस्त कर दिया[11]।

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(3), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

1905 में बंग भंग के कारण ब्रिटिश शासन के विरूद्ध सम्पूर्ण देश में आक्रोश की तीव्र ज्वाला भड़क उठी। कुमाऊँ भी इससे प्रभावित हुआ। कुमाऊँ में बंग भंग का विरोध सर्वप्रथम अल्मोड़ा में हुआ। इसके विरोध में नन्दादेवी मैदान में सभायें होने लगीं। आन्दोलन से प्रभावित नवयुवकों में स्वदेशी वस्तुओं के प्रति लगाव बढ़ा। उन्होंने जनसाधारण को औपनिवेशिक शासन की शोषक नीति से परिचित कराया[12]। आन्दोलन से प्रभावित होकर हर्षदेव ओली विद्यालय छोड़कर इलाहाबाद चले गये। वहाँ पं0 मोतीलाल नेहरू से उनकी भेंट हुई। वहाँ से वापस आकर ओली ने गाँव–गाँव में जाकर स्वदेशी प्रचार, विदेशी बहिष्कार की नीति को प्रचारित किया। और कांग्रेस की नीतियों एवं विचारों को जनता तक पहुँचाने तथा ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों से उन्हें परिचित कराते रहे। विदेशी बहिष्कार में उन्होंने अपने घर में विदेशी वस्त्रों से भरे 2 सन्दूकों को आग के हवाले कर दिया[13]। 1905 में कांग्रेस अधिवेशन बनारस में हुआ। कुमाऊँ से हरगोविन्द पन्त, गोविन्द बल्लभ पन्त व बद्री दत्त पांडे इसमें शामिल हुए थे[14]।

10 दिसम्बर, 1917 को ब्रिटिश जज की अध्यक्षता में एक रौलेट कमीशन नियुक्त किया गया[15]। 15 अप्रैल, 1918 को कमेटी ने रिपोर्ट प्रस्तुत की। 18 मार्च, 1919 में रौलेट एक्ट पास हुआ। एक्ट के तहत किसी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाये गिरफ्तार करने, नजबन्द रखने, जमानत लेने पर प्रतिबन्ध लगाने का अधिकार मिल गया। समस्त भारतीय जनता ने इसका विरोध किया। विरोधियों में गांधी, मालवीय, पटेल, श्री निवास शास्त्री, जिन्ना, मजरूल हक आदि भारतीय नेता थे[16]। कांग्रेस ने एक्ट का विरोध करने के लिए जनता से सत्याग्रह करने का आह्यवान किया और सम्पूर्ण देश में 30 मार्च, 1919 हड़ताल का दिन तय किया। बाद में इसे 6 अप्रैल किया गया[17]। सम्पूर्ण देश में आन्दोलन तीव्र होने लगा था। कुमाऊँ में भी आन्दोलन का प्रभाव पड़ा। स्थानीय जनता ने कुमाऊँ में राष्ट्रीय कांग्रेस का पर्याय 'कुमाऊँ परिषद' के नेतृत्व में रौलट एक्ट के विरोध में हल्द्वानी के चोरगलिया नामक स्थान पर जनसभा का आयोजन किया। स्थानीय नेताओं ने सभा में सारगर्भित भाषण दिए। काशीपुर में 6 अप्रैल, 1919 को एक्ट के विरोध में सभा आयोजित की गयी। इसमें एक्ट के दोषों पर प्रकाश डालते हुए गोविन्द बल्लभ पन्त ने उसे रद्द करने का प्रस्ताव सभी की सहमति से पास किया[18]।

7 अप्रैल, 1919 को अल्मोड़ा में हड़ताल हुई, 14 अप्रैल को गांधी की गिरफ्तारी पर जुलूस निकाला गया।[19] पंजाब में आन्दोलन का नेतृत्व कर रहे डा. सत्यपाल और डा. किचलू को 10 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया। इसके विरोध में जलियाँवाला बाग में 13 अप्रैल, 1919 को आयोजित सभा पर जनरल डायर ने सेना को गोलियाँ चलाने का आदेश दिया। पंजाब में मॉर्शल लॉ लागू किया गया।[20] मई, 1919 में अल्मोड़ा में आयोजित लोकसभा में दमन नीति की स्थानीय नेताओं ने निन्दा की। दमन नीति के विरोध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर बद्रीदत पाण्डे ने सरकार को पंजाब से फौजी कानून हटा देने की सहमति दी[21]।

सन् 1919–20 में ब्रिटिश सरकार की नीतियों, पंजाब में लागू मॉर्शल लॉ, मांटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से असन्तुष्टि, विश्व युद्ध से खराब आर्थिक स्थिति और रूसी क्रान्ति की विचारधारा आदि के प्रति जनता में तीव्र आक्रोश था। 1 अगस्त, 1920 में असहयोग आन्दोलन करने का निश्चय किया[22]। कांग्रेस द्वारा कलकता में असहयोग आन्दोलन की घोषणा की गयी। इससे जनता में नई ऊर्जा का संचार हुआ। तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं को कांग्रेस ने जनता को एकत्रित करने का कार्य दिया गया। कलकता कांग्रेस से पहले जनवरी, 1920 में अमृतसर कांग्रेस में कुमाऊँ से बद्रीदत्त पाण्डे, गोविन्द बल्लभ पन्त, मोहन सिंह मेहता आदि गये थे। यहाँ से वापस आने के बाद इन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में संगठन कार्य और सभायें की तथा कुमाऊँ परिषद की कुमाऊँ में अनेक शाखायें स्थापित कीं। और ग्रामीण जनता को शोषण के खिलाफ आन्दोलन करने के लिए प्रेरित किया[23]। संपूर्ण देश में 1920 में 'असहयोग आंदोलन' ने तीव्र रूप धारण कर लिया था। गोविंद बल्लभ पंत ने इसका समर्थन किया। उनके अनुसार असहयोग की नीति से ही देश आत्मनिर्भर हो सकता है[24]। कुमाऊँ परिषद का चौथा अधिवेशन 20 से 23 दिसम्बर, 1920 में हरगोविन्द पन्त की अध्यक्षता में काशीपुर में हुआ। इस अधिवेशन में स्थानीय आन्दोलनों को असहयोग आन्दोलन से जोड़कर आन्दोलन को व्यापक बनाने हेतु प्रस्ताव बनाने पर विचार किया गया[25]।

कुली बेगार का अन्त और वन नीति में सुधार के लिए किये जा रहे आन्दोलनों को कुमाऊँ परिषद के सदस्यों ने अपनी स्वीकृति दी। 1920 में कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का नया कार्यक्रम पारित किया गया। अब कांग्रेस संगठन का स्वरूप भी बदला तथा कांग्रेस की ईकाइयाँ हर गाँव और मुहल्ले में कायम की गई। और 15 सदस्यीय एक स्थायी कार्यकारिणी बनाई गयी। अब कांग्रेस ने एक पार्टी बनकर राष्ट्रीय स्वाधीनता को प्राप्त करने के लिए जन संघर्ष का नेतृत्व किया और ब्रिटिश सरकार के विरूद्ध उठ खड़ी हुई। इससे असहयोग आन्दोलन में तीव्रता आयी[26]। नागपुर अधिवेशन में कुमाऊँ से चिरंजीलाल, बदरीदत्त पाण्डे, हरगोविन्द पन्त, गोविन्द बल्लभ पत, शिव दत्त पाण्डे, भुवनेश्वर पाण्डे, लक्ष्मण दत्त भट्ट आदि लगभग बीस से पच्चीस कार्यकर्ता गये थे[27]। इन्होंने अधिवेशन से लौटकर कुली बेगार के अन्त तथा जंगलात सुधार के रूप में कुमाऊँ में विशाल असहयोग आन्दोलन चलाया। बागेश्वर में कुली बेगार आन्दोलन की सफलता के बाद कुली उन्मूलन और वन सुधार आन्दोलन के रूप में असहयोग आन्दोलन कुमाऊँ सहित गढ़वाल में भी फैल गया। नैनीताल एवं अल्मोड़ा में स्वयंसेवक बन स्कूली लड़के गांधी टोपी पहनकर और सरकार विरोधी जुलूस निकालते आन्दोलन में सम्मिलित होने लगे थे। रैमजे स्कूल अल्मोड़ा में हड़ताल की संभावना बढ़ने पर डिप्टी कमिश्नर डायबिल ने लिखा जनता मेरे नियंत्रण से बाहर हो रही है[28]।

आन्दोलन की तीव्रता को देखते हुए 21 जनवरी, 1921 को सुपरिन्टेन्डेंट पुलिस कुमाऊँ ने इन्स्पेक्टर जनरल को अल्मोड़ा में असहयोग आन्दोलन की गम्भीरता से अवगत कराया। नैनीताल से दमन के लिए सशस्त्र पुलिस बल भेजा गया। स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए इन्स्पेक्टर जनरल ने लेफ्टिनेट गर्वनर के सभासद को सूचित किया कि हमारे पास 1 इन्स्पेक्टर, 46 हेड कान्सटेबल और 207 कान्सटेबल हैं। जिन्हें डकैती अभियान रोककर तुरन्त अल्मोड़ा भेजा जा रहा है। सरकार ने आन्दोलन की व्यापकता के भय से दमन तेज कर दिया। रानीखेत, अल्मोड़ा, नैनीताल और पिथौरागढ़ शहरों में मार्च, 1921 में धारा 144 लगा दी गयी[29]। कुमाऊँ में कांग्रेस के प्रमुख नेता बद्रीदत्त पाण्डे, लक्ष्मीदत्त शास्त्री, कृष्णानन्द शास्त्री तथा प्रयागदत्त पंत पर मार्च, 1921 में धारा 108 के तहत सभा करने और भ्रमण करने पर प्रतिबंध लगा दिया। मार्च 1921 में मोहन सिंह मेहता को

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(3), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

धारा 107 के तहत गिरफ्तार किया गया। 2 मई 1921 में हेम चन्द्र जोशी, चेतराम वर्मा, केदार दत्त शास्त्री के भाषण देने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया[30]।

बौरारो और कत्यूर घाटी में सन्देह के आधार पर गिरफ्तारियाँ की गयी। अल्मोड़ा में देवालयों के अलावा बिना आज्ञा कहीं भी सभा करने पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था। इस दमन के विरोध में कुमाऊँ परिषद ने अल्मोड़ा में अप्रैल, 1921 में विशेष अधिवेशन किया। जिसमें सरकार की दमननीति की कटु आलोचना की गयी। और आन्दोलन जारी रखने का आह्वान किया गया[31]। 1922 में मोहन जोशी राष्ट्रीय ध्वज को हाथ में लेकर बागेश्वर के मेले में डाकबंगले पर हमला करने गये थे। 1923 में भिक्यिासैन के मेले में गिरफ्तारी के दौरान उनके हाथ में तिरंगा झण्डा था। देवीधुरा में हाथ में राष्ट्रीय झण्डे को लेकर उन्होंने 'मैचोल' पर हमला किया[32]। गोविन्द बल्लभ पंत ने सम्पूर्ण प्रदेश की जनता से अपील की, कि ''दमन के बावजूद जनता अहिंसात्मक असहयोग जारी रखे। और स्वराज्य प्राप्ति के अपने उद्देश्य की प्रधानता और व्यापकता को कदापि न भूले। स्वराज्य ही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इसको प्राप्त करने में अहिंसात्मक असहयोग के आन्दोलन में प्रान्त को यथाशक्ति सहयोग देना चाहिए''[33]।

गांधी ने चौरी–चौरा काण्ड के कारण असहयोग आन्दोलन को स्थगित कर दिया। जिससे अधिकांश कांग्रेसी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गान्धी के इस निर्णय से खुश नहीं थे। उनका अनुमान था कि आन्दोलन अपने चरम पर था। इसे स्थगित कर गान्धी ने बड़ी भूल की थी[34]। आन्दोलन राष्ट्रीय स्तर पर समाप्त होने पर भी क्षेत्रीय स्तर पर छिटपुट रूप से चलता रहा। कुमाऊँ में भी शहरों में आन्दोलन समाप्ति के कगार पर था। किन्तु गाँवों में जंगलात सुधार आन्दोलन के रूप में 1925 तक चलता रहा[35]। 8 नवंबर सन् 1927 को वायसराय ने साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा की। सर जॉन साइमन को अध्यक्ष नियुक्त किया गया। कमीशन का कार्य भारत में सुधारों तथा संसदीय जनतंत्र कार्यों की समीक्षा करना था। भारतीयों ने इसका तीव्र विरोध किया। इसमें कोई भी सदस्य भारतीय न होने के कारण भी इसका विरोध किया गया। कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में इसका बहिष्कार करने का प्रस्ताव पास हुआ[36]। साइमन कमीशन 1928 में भारत आया। सर्वत्र उसके बहिष्कार का कार्यक्रम बनाया गया। स्वराज्य का महत्व बताते हुए पंत ने कहा ''स्वतंत्रता का अधिकार किसी राष्ट्र का एक अविभक्त तथा अविच्छिन्न अधिकार है। प्रत्येक व्यक्ति को स्वराज्य पर अमल करने का पूर्ण अधिकार है''[37]।

साइमन कमीशन के 3 फरवरी, 1928 को बम्बई पहुँचने पर उसके विरोध में सम्पूर्ण देश में हड़तालें हुई। कुमाऊँ में भी कमीशन के विरोध में 3 फरवरी को हड़ताल हुई[38]। और अल्मोड़ा में जुलूस निकाला गया। महिलायें भी इसमें शामिल हुई[39]। कुमाऊँ में स्थानीय नेता बद्रीदत्त पाण्डे, हरगोविन्द पंत, मोहन जोशी आदि जंगलात व भू–बंदोबस्त समस्याओं को लेकर कमीशन का विरोध कर रहे थे। कुमाऊँ के सल्ट में हरगोविंद पंत के नेतृत्व में कमीशन के विरुद्ध एक विशाल सभा हुई। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया[40]। प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के 21 वें अधिवेशन अलीगढ़ में सभापति गोविन्द बल्लभ पन्त ने अपने भाषण में कहा ''यह कमीशन हमारे लिए वरदान सिद्ध हुआ है। इसके विरोध ने जाति, धर्म तथा राजनीति के सभी भेदभावों को मिटा दिया है''[41]। 1927 में पंत ने 'साइमन कमीशन' का बहिष्कार करने के लिए संयुक्त प्रांत का भ्रमण किया। उन्होंने स्थान–स्थान पर सार्वजनिक सभाएं आयोजित कर 'कमीशन' का विरोध करने को कहा। 1929 में लखनऊ में जवाहर लाल नेहरू के साथ साइमन कमीशन के विरोध में आयोजित प्रदर्शनों का नेतृत्व किया गया। पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारियों पर किये गये लाठीचार्ज में जवाहर लाल नेहरू के प्राणों के रक्षार्थ पंत ने अपनी जान जोखिम में डालकर लाठियों के घातक प्रहारों का सामना किया। जिससे उन्हें गम्भीर चोटें लगी। आजीवन उनकी गर्दन कांपती रही[42]।

देश की अधिकांश जनता सन् 1930 में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरूद्ध संघर्ष में कांग्रेस को अपना संगठन और गांधी को अपने नेता के रूप में आदर्श मानने लगी थी। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1930 में जनता के उत्साह ने कांग्रेस को पूर्ण स्वाधीनता की मांग के लिए मजबूर कर दिया। 31 दिसम्बर, 1929 रात्रि 12 बजे जवाहर लाल नेहरू ने रावी नदी के तट पर राष्ट्रीय तिरंगा झण्डा फहराया और पूर्ण स्वतन्त्रता की घोषणा की[43]। लाहौर कांग्रेस में कुमाऊँ से बद्रीदत्त पाण्डे शामिल हुए थे[44]। 26 जनवरी, 1930 को सम्पूर्ण देश में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। विशाल जुलूस निकाले गए। जिनमें पूर्ण स्वाधीनता के लिए संघर्ष का संकल्प लिया गया। साथ ही विश्वास प्रकट किया कि यदि हमने स्वेच्छापूर्वक सरकार के साथ सहयोग करना, कर देना बन्द कर दिया, उकसाने पर हिंसा का मार्ग नहीं अपनाया तो निश्चित रूप से यह अमानवीय शासन समाप्त हो जायेगा[45]।

13 जनवरी, उत्तरायणी मेले बागेश्वर में कुमाऊँ के प्रमुख नेता एकत्रित हुए। यहाँ पूर्ण स्वाधीनता का संदेश सुनाते हुए चिरंजी लाल, बद्रीदत्त पाण्डे, रामदत्त लोहनी, मोहन जोशी, और देवकी नन्दन पाण्डे ने भाषण दिये। जनता को 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने के लिए प्रेरित किया। 26 जनवरी को अल्मोड़ा में कांग्रेस कमेटी के मंत्री मधुसूदन गुरुरानी ने नन्दा देवी में झण्डा फहराया। कुमाऊँ में 26 जनवरी, 1930 को स्थान–स्थान पर राष्ट्रीय झण्डा फहराकर प्रथम स्वतन्त्रता दिवस मनाया गया। 1930, फरवरी में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अहमदाबाद में हुई। बैठक में कांग्रेस द्वारा आन्दोलन का नेतृत्व गांधी को सौंपा गया। गांधी ने 27 फरवरी को साबरमती आश्रम में नमक आन्दोलन की घोषणा की[46]।

12 मार्च, 1930 में गान्धी जी ने नमक कर के उल्लंघन हेतु साबरमती से दाण्डी तक सम्पूर्ण भारतवर्ष से 78 व्यक्तियों के साथ यात्रा प्रारम्भ की। 6 अप्रैल, 1930 को वे दाण्डी पहुँचे और नमक बनाकर नमक कानून को भंग किया[47]। इन सभी व्यक्तियों को गांधी ने 'सत्याग्रही–सैनिक' की संज्ञा दी। इनके नम्बर निर्धारित किये। कुमाऊँ से दांडी यात्रा में 68 वें नम्बर के सत्याग्रही ज्योतिराम काण्डपाल और 70 वें नम्बर के भैरव दत्त जोशी सम्मिलित हुए थे। नमक–सत्याग्रह के दौरान ब्रिटिश सरकार ने दमन नीति का सहारा लिया। सरकार ने धरासना नमक डिपो पर कब्जा करने के लिए आने वाले सत्याग्रहियों पर लोहे के शिरों वाले डण्डे से प्रहार किया, जिससे सत्याग्रहियों को गम्भीर चोटें आयी। वे मूर्च्छित होकर जमीन पर गिर पड़े[48]। ज्योतिराम काण्डपाल गांधी के साथ जेल भी गए थे[49]।

कुमाऊँ में नमक–सत्याग्रह का नेतृत्व गोविन्द बल्लभ पन्त ने किया। कुमाऊँ में नमक बनाना बहुत कठिन था काफी परिश्रम करने पर नमक की जगह फिटकरी और मिट्टी ही हाथ लगती थी। कुमाऊँ में नमक–आन्दोलन ने व्यापक रूप से जोर पकड़ा। जहाँ नमक उपलब्ध न हो पाया

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(3), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

वहाँ लोगों ने नमक–सत्याग्रह के स्थान पर कई जगहों पर जंगलात कष्टों के विरोध में आन्दोलन शुरू कर दिया। आन्दोलन को विफल करने के लिए सरकार ने प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया था[50]। कुमाऊँ में नमक सत्याग्रह का केन्द्र रहा नैनीताल में 25 मई को नमक बनाने की घोषणा हुई। नमक कानून के उल्लंघन में पन्त जी की गिरफ्तारी हुई। तदुपरांत इन्द्रसिंह नयाल ने नेतृत्व संभाला, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पश्चात् भी सत्याग्रह जारी रहा। अल्मोड़ा से कृष्णानंद जोशी व बद्रीदत पांडे नैनीताल पहुँचे। 27 मई को विशाल जनसभा में बद्रीदत ने भाषण दिये। और नमक भी बेचा गया। 1930 में भगीरथ पाण्डे ने सल्ट में रामगंगा नदी के किनारे नमक बनाकर कानून तोड़ दिया। नैनीताल में जानकी देवी साह, भगीरथी देवी, शकुंतला देवी, सावित्री देवी, जानकी देवी, पद्मा देवी जोशी, विमला देवी काफी सक्रिय महिलायें रही[51]।

अल्मोड़ा में नमक सत्याग्रह 'झण्डा सत्याग्रह' का रूप ले चुका था 4 मई को राष्ट्रीय ध्वज हाथ में लिये नवयुवकों ने जूलूस निकाला। मोहन जोशी की अध्यक्षता में नन्दादेवी प्रांगण में विशाल सभा हुई। सभा में शांतिलाल त्रिवेदी ने विदेशी वस्त्र बहिष्कार का प्रतिज्ञापत्र पढ़ा। तथा राष्ट्रीय झण्डा फहराने का प्रस्ताव 25 मई 1930 को सर्वसम्मति से पारित हो गया। लेकिन प्रशासन पर इसकी तीव्र प्रतिक्रिया हुई। 26 मई को अल्मोड़ा में जुलूस निकाला गया और सभाएँ हुई[52]। मोहन जोशी व शान्तिलाल त्रिवेदी के नेतृत्व में 26 मई, 1930 को अल्मोड़ा नगरपालिका में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के प्रयास में जोशी और त्रिवेदी के घायल होने पर आक्रोशित महिलाओं जिनमें कुन्ती वर्मा, मंगला वर्मा, भागीरथी वर्मा, जीवन्ती ठकुरानी, रेवती आदि तमाम घरेलू जिम्मेदारियों के बावजूद नगरपालिका भवन में झण्डा फहराने आई। अंततः तिरंगा फहराया गया[53]।

काली कुमाऊँ (वर्तमान चम्पावत) में आन्दोलन का नेतृत्व हर्षदेव ओली कर रहे थे। 9 अगस्त, 1930 को ओली ने देवीधूरा के मेले में एक विशाल जनसमूह को अपने प्रभावशाली भाषण से ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति और काँग्रेस के स्वतन्त्रता प्राप्ति के उद्देश्यों से परिचित कराया। उन्हें तत्काल गिरफ्तारी का आदेश मिला। भारी जन समर्थन के कारण पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने में असफल रही। बाद में 12 अगस्त को पुलिस ने उन्हें उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। यह समाचार मिलते ही हजारों की संख्या में लोग उन्हें मुक्त कराने तहसील जा पहुँची। हर्षदेव ने व्याखान देकर क्रोधित जनता को शांत कराया। ओली को 6 महिने का कठोर कारावास और 500 रुपये जुर्माना हुआ। जुर्माना देने में असमर्थ होने पर कारावास की सजा 1 वर्ष बढ़ा दी गई। सन् 1932 ई0 में सविनय अवज्ञा आन्दोलन के अवधि में ओली को पुनः गिरफ्तार किया गया। उन्हें 6 मास का कठोर कारावास और 150 रु0 का जुर्माना हुआ[54]।

अप्रैल, 1940 को अल्मोड़ा में बड़ी धूमधाम से राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। नन्दादेवी के प्रांगण में 10 अप्रैल, 1940 ई0 को हरगोविन्द पन्त ने अपने प्रभावशाली भाषण में कहा–''इसमें कोई शक नहीं कि हमारा मुकाबला एक बड़ी जाति से है, पर इस पराधीनता के कलंक को धो डालना हमारा परम कर्तव्य है, बिना स्वाधीनता प्राप्त किये किसी देश और मनुष्य का कष्ट दूर नहीं हो सकता और न उसका विकास ही हो सकता है''[55]। 17 अक्टूक्बर, 1940 को गांधी द्वारा नामित प्रथम सत्याग्रही बिनोवा भावे ने पवनार में व्यक्तिगत सत्याग्रह आरम्भ किया। तदुपरांत नेहरू फिर पटेल सत्याग्रही बने और गिरफ्तार हुए। बाद में सम्पूर्ण देश में व्यक्तिगत सत्याग्रह की लहर फैल गयी। कुमाऊँ में व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरम्भ 24 नवम्बर 1940 को गोविन्द बल्लभ पंत ने किया। पंत ने नैनीताल से हल्द्वानी जाकर जनता के बीच युद्ध विरोधी नारे लगाये। पंत को गिरफ्तारी का वारंट मिला। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने जनता को गान्धी के आदेशों का पालन करने को कहा[56]। सत्याग्रह में भाग लेने के कारण पंत गिरफ्तार हुए। उन्हें 1 वर्ष कैद की सजा हुई[57]।

हल्द्वानी में हड़ताल हो गई। एक वृहद सभा हरगोविन्द पंत की अध्यक्षता में आयोजित की गई। हरगोविन्द पंत ने 6 दिसम्बर 1940 को स्वराज्य मंदिर बागेश्वर में युद्ध विरोधी नारे लगाकर गिरफ्तारी दी। दूसरे सत्याग्रही बदरी दत्त पाण्डे को सत्याग्रह पूर्व ही गिरफ्तार किया गया। दुर्गासिंह रावत ने उत्तरायणी मेले के मौके पर सत्याग्रह आरम्भ किया। बाद में प्रत्येक पट्टी में सत्याग्रह प्रारम्भ हो गया। कई व्यक्तियों ने सत्याग्रह में भाग लिया और जेल की यात्रा की। पाली पछाऊँ के महाकालेश्वर में 19 अगस्त 1940 को हरिदत्त काण्डपाल तथा हरिदत्त मठपाल की गिरफ्तारी हुई। युद्ध विरोधी नारे लगाते हुए 12 फरवरी 1941 को बोरारौ में पचास सत्याग्रही गिरफ्तार हुए। रानीखेत से मथुरा दत भट्ट तथा सालम में रामसिंह आजाद की गिरफ्तारी हुई[58]। मेहता जी को गिरफ्तार कर 8 माह की सजा और 50 रुपये का जुर्माना लगाया गया[59]। नैनीताल में गोविन्द बल्लभ पंत के पश्चात् मोहनलाल साह तथा 1941 में शाह भी गिरफ्तार किये गए[60]। महिला सत्याग्रहियों में सर्वप्रथम हल्द्वानी से शोभावती मित्तल, भागीरथी, काशीपुर से यशोधरा तथा अल्मोड़ा से बिशनी देवी की गिरफ्तारी हुई[61]।

अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के 8 अगस्त को बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया। इसमें अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान किया गया कि, सभी कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी होने पर स्वाधीनता का इच्छुक प्रत्येक भारतीय अपना मार्गदर्शक बने। गांधी ने जनता को करो या मरो का नारा दिया और कहा हम भारत को स्वतंत्र करायेंगे या इस प्रयास में अपने प्राण दे देंगे। रात में बैठक समाप्त होते ही गांधी और कार्यसमिति के सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। जिससे जनता आक्रोशित हो उठी। 9 अगस्त को देश के प्रमुख शहरों में जुलूस निकाला गया और सभायें हुई। 10 अगस्त को दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, बनारस आदि शहरों में हड़तालें हुई। सरकार ने सबसे पहले प्रेस का दमन किया। आन्दोलन शीघ्र गाँवों में फैल गया। मुख्य नेता गिरफ्तार किये जाने लगे। इनकी गिरफ्तारी के बाद किसानों, मजदूरों और छात्रों ने विद्रोह का नेतृत्व संभाला[62]।

कुमाऊँ में भी आन्दोलन ने उग्र रूप धारण किया। यहाँ आन्दोलन प्रारम्भ होने से पहले ही भारतीय रक्षा कानून की धारा 129 के तहत मुख्य नेताओं की गिरफ्तारियाँ आरम्भ की गई थी। हरगोविन्द पन्त 3 अगस्त को गिरफ्तार किये गये। जिससे अल्मोड़ा की जनता आक्रोशित हो गयी। 4 अगस्त को अल्मोड़ा में हड़ताल रही। सम्पूर्ण देश में 9 अगस्त को आन्दोलन शुरु होते ही कुमाऊँ में जुलूस निकाला गया और सभाएँ हुई। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रमुख पदाधिकारी बद्रीदत पाण्डे व मनोहर पन्त रात्रि में गिरफ्तार किये गये। राष्ट्र ध्वज के साथ 9 अगस्त, 1942 को जुलूस निकला और सभा हुई। 10 अगस्त को हड़ताल तथा जुलूस निकाला गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी और लाठीचार्ज हुआ। शहर पर

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(3), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

सामूहिक जुर्माना लगाया गया तथा कई गिरफ्तारियाँ हुई। नैनीताल में लोगों ने हड़ताल, जुलूस और सभायें की। नैनीताल में तोड़ फोड का दोषी जिला कांग्रेस कमेटी को ठहराया गया। यह आन्दोलन शीघ्र ही गाँवों में फैल गया। सालम, सल्ट, चनौदा, खीराकोट, टोटाशिलिंग, देघाट, जोहार तथा कोटाबाग, मझेड़ा आन्दोलन के मुख्य केन्द्र थे। 9 अगस्त को सालम में कांग्रेस कार्यसमिति के नेताओं की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही बाग्धो और सांगड़ नामक स्थानों पर वृहद जनसभायें हुई। दुर्गादत्त पाण्डे को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद राम सिंह आजाद ने आन्दोलन का नेतृत्व सभाला। रेवाधर पाण्डे और राम सिंह की गिरफ्तारी नहीं की जा सकी। वे आन्दोलन में भूमिगत सत्याग्रही के रूप में सक्रिय रहे[63]। भारत छोड़ो आन्दोलन में भाग लेने के कारण बचीराम आर्य को एक वर्ष, छः महिने की सजा व खुशीराम आर्य को गिरफ्तार कर 18 माह तक अल्मोड़ा, बरेली तथा इलाहाबाद जेलों में नजरबंद रखा[64]।

9 अगस्त, 1942 को कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्यों के साथ पन्त की बम्बई में गिरफ्तारी हुई। अहमदनगर किले में 1945 तक उन्हें नजरबन्द रखा गया। विध्वंसकारी कार्यो के मामले में नैनीताल में कई युवकों की गिरफ्तारी हुई। श्यामलाल वर्मा उनमें प्रमुख थे। उनपर राजद्रोह का मुकदमा लगाया गया। इन्द्रसिंह नयाल ने इनकी निःशुल्क पैरवी की। मेहता जी पर 275 रुपये का सामूहिक जुर्माना लगाया गया। अस्वस्थता के कारण उन्हें गिरफ्तार नही किया गया। उन्हें अल्मोड़ा में नजरबन्द रखा गया[65]। सल्ट क्षेत्र 1942 में भी आन्दोलित रहा। कई दिनों तक वहाँ स्वराज्य स्थापित रहा। ब्रिटिश सरकार ने आरम्भ से ही कुमाऊँ का बारदोली कहे जाने वाले सल्ट पर दमन नीति प्रारम्भ कर दी थी। डिप्टी कमिश्नर ने अगस्त में सेना सहित सम्पूर्ण पाली पछाऊँ का भ्रमण किया[66]।

सल्ट के खुमाण में 5 सितम्बर 1942 में गोलीकाण्ड हुआ। जिसमें गंगाराम कन्याल, खीमानन्द कन्याल, चूड़ामणि और बहादुर सिंह शहीद हो गये। कई घायल हुए। अनेकों गिरफ्तारियाँ की गयी। हड़तालों तथा जुलूसों में महिलाओं की बराबर हिस्सेदारी रही। कई महिलायें गिरफ्तार हुई[67]। सरला बहन ने जौहार–मुन्स्यारी, सालम, लोहार खेत, सल्ट व चौखुटिया में भ्रमण किया और जागृति उत्पन्न की। बाद में स्वंय आन्दोलन में कूद पड़ी। विद्या देवी ने रेलों की तोड़–फोड में हिस्सा लिया, उन्हें 15 वर्ष की सजा हुई[68]। राम प्रसाद टम्टा ने भारत छोड़ो आन्दोलन में अप्रत्यक्ष रूप से भागीदारी कर 1942 के आन्दोलनकारियों की प्रत्यक्ष रूप से पैरवी कर कई लोगों को राजद्रोह से मुक्त कराया[69]। 1942 के भारत छोड़ो आन्दोलन में हालाँकि जनता कुशल नेतृत्व के अभाव व निहत्थी होने के कारण साम्राज्यवादी सरकार के दमन नीति का सामना करने में असफल रही। लेकिन स्वतंत्रता की मांग को आन्दोलन ने राष्ट्रीय संघर्ष की पहली माँग बना दिया।

निष्कर्ष :– भारतवर्ष की स्वतन्त्रता के लिए हिंसात्मक तथा अहिंसात्मक आन्दोलनों में कुमाऊँ के तत्कालीन कांग्रेस के प्रमुख व्यक्तित्वों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे समस्त सेनानी हमारे लिए वन्दनीय हैं। यहाँ की जनता ने स्वतंत्रता–संग्राम में अपने महान विभूतियों के कुशल नेतृत्व में अपूर्व साहस दिखाया और अमिट बलिदान किए। राष्ट्रीय स्वाधीनता संघर्ष में उनका अमूल्य योगदान रहा। आजादी के संघर्ष में महिलाओं ने भी साहस, त्याग, संघर्ष से सक्रिय भूमिका निभाई। कई सेनानी कड़ी सजा भुगतने के बावजूद अपनी प्रतिज्ञाओं से पीछे नहीं हटे। आज हमें जो स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, उसके लिए हम उन सेनानियों के बहुत ऋणी हैं। जिन्होंने जनसाधारण में देश प्रेम की भावना का संचार कर उन्हें ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए प्रेरित किया। कुमाऊँ में जन्मे इन महान् स्वतन्त्रता–सेनानियों के संघर्षो, त्याग, नेतृत्व, समर्पण और बलिदानों को हमेशा याद किया जाएगा। इनका अगाध राष्ट्रप्रेम, अटूट प्रतिबद्धता, अदम्य साहस और बलिदान भावी पीड़ी के लिए प्रेरणास्रोत बन गया। शोध पत्र के माध्यम से इन सेनानियों के महान् बलिदानों और विकट संघर्षों के परिणामस्वरूप प्राप्त हुई स्वतंत्रता की रक्षा करने और राष्ट्र को प्रगति के मार्ग पर आगे बढ़ाने की प्रेरणा जनता में इस शोध पत्र के माध्यम से बलवती होगी।

सन्दर्भः–

1. कठोच, डॉ0 यशवन्त सिंह, उत्तराखण्ड का नवीन इतिहास, विनसर पब्लिकेशन, देहरादून, 2016, पृष्ठ 356
2. वैष्णव, यमुनादत्त, कुमाऊँ का इतिहास, खस (कस्साइट) जाति के परिप्रेक्ष्य में, पृष्ठ 1
3. शाह, ज्योति, 'शक्ति' के तीन दशक, पहाड़ प्रकाशन, नैनीताल, 2009, पृष्ठ 19 (शक्ति, 20 मार्च, 1940)
4. मनराल, धर्मपाल सिंह, स्वतंत्रता आन्दोलन में कुमाऊँ गढ़वाल का योगदान, पृष्ठ 24
5. भाकुनी, हीरासिंह, संग्रामियों के सरताज बदरी दत्त पाण्डे, प्रकाश बुक डिपो, बरेली, 1989, पृष्ठ 40
6. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 19
7. भाकुनी, हीरासिंह, पूर्वोक्त, पृष्ठ 39
8. पाण्डे, बदरीदत्त, कुमाऊँ का इतिहास, श्याम प्रकाशन, अल्मोड़ा, 2023, पृष्ठ 501
9. शाह, शम्भू प्रसाद, गोविन्द बल्लभ पन्त, एक जीवनी, पृष्ठ 50
10. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 18, 19
11. मनराल, धर्मपाल सिंह, मित्तल, अरुण, उत्तराखंड के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी, अल्मोड़ा बुक डिप्पो, 1977, पृष्ठ 4
12. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 19 (शक्ति, 20 मार्च, 1940)
13. मनराल, डॉ धर्मपाल सिंह, मित्तल, डॉ अरुण, पूर्वोक्त, पृष्ठ 80, 81
14. पाठक, शेखर, सरफरोशी की तमन्ना, पृष्ठ 21
15. पामदत्त, रजनी, आज का भारत, पृष्ठ 344
16. सिंह, अयोध्या, भारत का मुक्ति संग्राम, पृष्ठ 404
17. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 48
18. डॉ धर्मपाल सिंह, मित्तल, डॉ अरुण, पूर्वोक्त, पृष्ठ 5

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(3), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

19. शाह, शम्भू प्रसाद, पृष्ठ 54–55
20. चंद्र, बिपिन, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, राजकमल प्रकाशन, 2025, पृष्ठ 172
21. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 52
22. ताराचन्द, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेन्ट इन इण्डिया, भाग–3, पृष्ठ 512, 516
23. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 54
24. पांडे, पुष्पेश, औपनिवेशिक उत्तराखंड और राष्ट्रीय मुक्ति संघर्ष, अनामिका पब्लिशर्स एंड डिस्टीब्यूटर्स, नई दिल्ली, 2015, पृष्ठ 257
25. पाठक, शेखर, पूर्वोक्त, पृष्ठ 41
26. पामदत्त, रजनी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 351
27. पाठक, शेखर, उत्तराखंड में कुली बेगार प्रथा, पृष्ठ 168
28. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 56, 57
29. पाठक, शेखर, पूर्वोक्त, पृष्ठ 179, 181
30. पाठक, शेखर, सरफरोशी की तमन्ना, पृष्ठ 59
31. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 58
32. मनराल, डॉ धर्मपाल सिंह, मित्तल, डॉ अरुण, पूर्वोक्त, पृष्ठ 22
33. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 58, 59
34. चंद्र, बिपिन, पूर्वोक्त, 2025, पृष्ठ 180
35. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 59
36. सीतारामय्या, डॉ. बी. पट्टाभि, कांग्रेस का इतिहास खंड–1, सस्ता साहित्य मण्डल प्रकाशन, 2020, पृष्ठ 298, 299, 300
37. मनराल, डॉ धर्मपाल सिंह, मित्तल, डॉ अरुण, पूर्वोक्त, पृष्ठ 38
38. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 72
39. कैड़ा, सावित्री और बसन्ती पाठक, अपना गुलामी से नाम कटा दो बलम, (लेख) पहाड–4, पृष्ठ 219
40. मनराल, धर्मपाल सिंह, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊँ गढ़वाल का योगदान, 1857–1947, शोध प्रबन्ध, पृष्ठ 59
41. करगेती, मदन मोहन, स्वतन्त्रता आन्दोलन तथा स्वातंत्र्योत्तर उत्तराखण्ड, विनसर पब्लिशिंग, देहरादून, 2016, पृष्ठ 119
42. पाण्डे, पुष्पेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 257
43. ताराचन्द, पूर्वोक्त, भाग–4, पृष्ठ 94
44. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 78
45. पामदत्त, रजनी, पूर्वोक्त, पृष्ठ 370
46. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 79, 80
47. सिंह, अयोध्या, पूर्वोक्त, पृष्ठ 578
48. मनराल, डॉ धर्मपाल सिंह, मित्तल, डॉ अरुण, पूर्वोक्त, पृष्ठ 96
49. करगेती, मदन मोहन, पूर्वोक्त, पृष्ठ 131
50. पन्त, पुष्पेश, राष्ट्रीय संग्राम राष्ट्रीय निर्माण और पं. पन्त, (लेख) पहाड़–4, पृष्ठ 262
51. पाण्डे, पुष्पेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 184, 183, 190,
52. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 83
53. कैड़ा, सावित्री, और पाठक, बसन्ती, पूर्वोक्त, पृष्ठ 220
54. पाण्डे, पुष्पेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 263
55. मनराल, डॉ धर्मपाल सिंह, मित्तल, डॉ अरुण, पूर्वोक्त, पृष्ठ 55
56. पाठक, शेखर, पूर्वोक्त, पृष्ठ 105, 108
57. पाण्डे, पुष्पेश, पूर्वोक्त, पृष्ठ 258
58. शेखर, पाठक, पूर्वोक्त, पृष्ठ 108
59. डॉ धर्मपाल सिंह, मितल, डॉ अरुण, पूर्वोक्त, पृष्ठ 101
60. शेखर, पाठक, पूर्वोक्त, पृष्ठ 108
61. कैड़ा, सावित्री, और पाठक, बसन्ती, पूर्वोक्त, पृष्ठ 220
62. चंद्र, बिपिन, पूर्वोक्त, पृष्ठ 419, 420
63. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 149, 150, 151
64. धस्माना, योगेश, उत्तराखंड में जनजागरण और आन्दोलनों का इतिहास, बिनसर पब्लिशिंग कं0, देहरादून, 2006, पृष्ठ 266
65. मनराल, डॉ धर्मपाल सिंह, मित्तल, डॉ अरुण, पूर्वोक्त, पृष्ठ 40, 92, 101,
66. शाह, ज्योति, पूर्वोक्त, पृष्ठ 152

Cover Page

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY EDUCATIONAL RESEARCH
ISSN:2277-7881(Print); IMPACT FACTOR :10.16(2026); IC VALUE:5.16; ISI VALUE:2.286
PEER REVIEWED AND REFEREED INTERNATIONAL JOURNAL
(Fulfilled Suggests Parameters of UGC by IJMER)
Volume:15, Issue:2(3), February 2026
Scopus Review ID: A2B96D3ACF3FEA2A
Article Received: Reviewed: Accepted
Publisher: Sucharitha Publication, India
Online Copy of Article Publication Available: www.ijmer.in

67. पाठक, शेखर, पूर्वोक्त, पृष्ठ 129
68. कैड़ा, सावित्री, और पाठक, बसन्ती, पूर्वोक्त, पृष्ठ 221
69. सकलानी, शक्ति प्रसाद, उत्तराखंड की विभूतियाँ उत्तरा प्रकाशन, रुद्रपुर, 2001, पृष्ठ 393